

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- एफ0पी0/यूपी0/एप्रोच/16714/2015

1.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	कार्योपरान्त जनपद-हाथरस में नायरा इनर्जी लिमिटेड (एस्सार ऑयल लि0) द्वारा पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) के कि0मी0 संख्या 234 (चेनेज संख्या-233.155) के मध्य दाँयी पटरी 03 खसरा संख्या-165क व 166 ग्राम नगला शीशम, तहसील-हाथरस, जिला-हाथरस में पूर्व से संचालित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.065378 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति। नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 03.10.2022

स्थान:- अलीगढ़।

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़